

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 1604 / 14-1, दिनांक: अलीगढ़, नवम्बर 07, 2018

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

765 के0वी0 डबल सर्किट उरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन निर्माण हेतु एटा में 1.23 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, फिरोजाबाद में 0.8072 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 04 वृक्षों के पातन, मैनपुरी में 0.7884 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग कुल 2.8256 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

आपका पत्र संख्या 839/उरई-अलीगढ़ लाइन(2.8256 हे0)/26448/2017 दिनांक 17.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में आपके संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर आख्या सम्बन्धित अभिलेखों सहित वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा द्वारा पत्र संख्या 1961/14-1(26448/2017) दिनांक 02.11.2018 द्वारा आपको प्रेषित की गयी है। अतः विषयक प्रस्ताव इस स्तर से संस्तुति सहित ऑन लाइन आपको अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक/1604 / 14-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
3. मुख्य प्रबन्धक, पावरग्रिड कार्पो0 ऑफ इण्डिया लि0, मैनपुरी।

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।